प्रतिशत है जो विभिन्न राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद बिहार में स्थित दो राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को अलग-अलग जिन्सों से संबंधित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के माध्यम से फल तथा सब्जियों के संबंध में स्थान विशिष्ट अनुसंधान के लिए 75 : 25 के अनुपात में सहायता प्रदान करती है। इस समय राज्य में ऐसी छः परियोजनाएं (फलों के लिए 2 तथा सब्जियों के लिए 4) चलाई जा रही हैं। इस संबंध में स्वीकृत तथा दी गई धनराशि का विवरण इस प्रकार है:—

(लाख रुपए में)

	स्वीकृत धनराशि			दी गई धनराशि		
	1993-94	1994-95	1995-96	1993-94	1994-95	1995-96
फलों से संबंधित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं हेतु (2)	12.38	10.34	8.75	12.38	10.34	4.38
सब्जियों से संबंधित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं हेतु (4)	10.88	11.35	11.50	11.53	10.06	3.27

इसके अलावा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राज्य में स्थित दो क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों, केन्द्रीय बागवानी प्रयोग केन्द्र, रांची तथा केन्द्रीय आलू अनुसंधान केन्द्र, पटना के माध्यम से फलों तथा सब्जियों के लिए भी अनुसंधान सहायता उपलब्ध है।

(ग) भारत सरकार द्वारा उत्पादन प्रसंस्करण तथा विपणन के लिए बिहार को दी गई सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है:

(लाख रुपए में)

	1993-94		1994-95		1995-96	
	आबंटन	दी गई धनराशि	आबंटन	दी गई धनराशि	आबंटन	दी गई धनराशि
फलों तथा सब्जियों सहित सभी बागवानी फसलों में उत्पादनोन्मुखी कार्यक्रमों के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग तथा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की योजनाएं	264.92	241.7	289.32	75.24	145.89	24.90
फल तथा सब्जी प्रसंस्करण के लिए सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करने संबंधी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की योजनाएं	—	—	—	—	7.50	7.50
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा सहायता	—	28.538	—	26.957	—	—

Selling of IDPL to Private Sector

*193. SHRI S. MUTHU MANI: Will the Minister of CHEMICALS & FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government propose to sell the IDPL to private sector;

(b) if not, the steps Government propose to take to revive it;

(c) whether Government is also

proposing to allow IDPL to have joint ventures with private sector for new products, including with the State Governments; and

(d) whether Government propose to release Rs. 30.00 crores to IDPL as non-plan assistance during 1996-97?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI RAM LAKHAN SINGH YADAV): (a) & (b): There is no proposal under consideration of the Government to sell Indian Drugs & Pharmaceuticals Limited (IDPL) to any private sector company at this stage. A revival package approved by the Board for Industrial & Financial reconstruction (BIFR) is under implementation. The revival period is 10 years beginning from 1994-95. The package, inter alia, envisage higher production/sales, capital and business restructuring, rationalisation of the excess manpower, fresh financial assistance from the Government, support and sacrifices from all sections of employees and officers and support from the respective State Governments.

(c) IDPL has been authorised to explore the possibilities of joint venture in its wholly owned subsidiaries.

(d) The financial assistance, as envisaged in the revival plan, from the Government, was released. The company has proposed certain modifications in the existing package keeping in view the experience of the operations in the first year, i.e. 1994-95. The modifications proposed, inter alia, envisage further financial assistance to the tune of Rs. 93.00 crores over a period of two years. The question whether the Government would release a sum of Rs. 30.00 crores to IDPL from non-plan side in 1996-97 is premature as the Budget for 1996-97 is yet to be finalised.

खनन कार्य में प्रयुक्त आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकें

*194. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन खानों में गत तीन वर्षों से प्रत्येक वर्ष आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक से खनन कार्य किया जा रहा है;

(ख) प्रत्येक खनन-कार्य पर कितना व्यय हुआ है;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस कार्य पर कितना व्यय किया जाएगा और उसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र के जिलों में स्थित खानों का आधुनिकीकरण करने के लिए कितनी राशि खर्च की जाएगी?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरधर गमंग): (क) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 और उसके अंतर्गत बनाए गए खनिज रियायत नियम 1960 और खान संरक्षण और विकास नियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार प्रमुख खनिजों के लिए कोई खनन पट्टा तब तक नहीं दिया जाता जब तक कि खानों का वैज्ञानिक विकास और खनिजों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए खान हेतु खनन योजना भारतीय खान ब्यूरो द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित न की गई हो। उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1992-93, 1993-94 और वर्ष 1994-95 के दौरान कार्यरत "क" वर्ग यंत्रीकृत खानों की संख्या क्रमशः लगभग 340,350 और 348 थी। इन खानों में प्रायः आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों द्वारा खनन कार्य किया जाता है। ऐसी खानों की सूचियां एकत्र करके सभा पटल पर रख दी जाएंगी।

(ख) से (घ) खान मालिकों द्वारा किए गए व्यय और किए जाने वाले व्यय के संबंध में विस्तृत सूचना केन्द्र सरकार द्वारा एकत्र नहीं की जाती है।

Welfare Schemes for Tribals of Orissa

*195. SHRI BHAGAWAN MAJHI: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) the various welfare measures being adopted for the tribals dwelling in Orissa;

(b) the details of those schemes tribe-wise;